

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 558/15

संस्थापन दिनांक:-19/09/15

फाईलिंग नं. 233504001952015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

मोटू उर्फ सोनू पिता मोतीराम वानखेड़े,
उम्र 22 वर्ष, निवासी बस स्टेण्ड आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 21.01.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 03.09.2015 को समय दोपहर 02:25 बजे या उसके लगभग न्यायालय के सामने जनपद चौक आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी तलवारनुमा जिसकी लंबाई 1 फिट 4½ इंच, चौड़ाई सवा दो इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 03.09.2015 को सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि जनपद चौक पर अभियुक्त हाथ में तलवारनुमा छुरी लेकर गदर कर रहा है। सूचना पर वह हमराह प्रधान आरक्षक रजनीकांत के जनपद चौराह न्यायालय के सामने पहुंचा जहां अभियुक्त उसे हाथ में लोहे की छुरी तलवारनुमा लिए मिला जिससे पूछताछ करने पर छुरी रखने के संबंध में संतोषजनक जबाव नहीं देने पर उसने अभियुक्त से साक्षीगण के समक्ष छुरी जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 477/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.09.2015 को समय दोपहर 02:25 बजे या उसके लगभग न्यायालय के सामने जनपद चौक आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी तलवारनुमा जिसकी लंबाई 1 फिट 4½ इंच, चौड़ाई सवा दो इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 ओमप्रकाश यादव (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 02.09.2015 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह प्रधान आरक्षक रजनीकांत के साथ जनपद चौक आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की तलवारनुमा छुरी लिये गदर करते मिला। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में संतोषजनक जवाब न दिये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 477/15 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए को वही लोहे की तलवारनुमा छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त की थी।

6 रजनीकांत (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना जनपद चौक आमला की दोपहर लगभग 02:30 बजे की है। घटना के समय वह यादव साहब के साथ दूसरे प्रकरण में चोरी गये माल की पता साजि कर रहा था तभी बस स्टेण्ड में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जनपद चौराहे पर अभियुक्त हाथ में छुरा लेकर गदर कर रहा है जिस पर वे लोग जनपद चौराहे पर पहुंचे थे जहां उन्हें अभियुक्त हाथ में तलवारनुमा छुरी लेकर लोगों को डराते धमकाते मिला जिससे यादव साहब ने एक लोहे की तलवारनुमा छुरी जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

7 यादोराव (अ.सा.-1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर रजनीकांत (अ.सा.-2) एवं ओमप्रकाश यादव (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ऐ. आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 ओमप्रकाश यादव (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना प्राप्त होने पर हमराह आरक्षक रजनीकांत के साथ मौके पर जाकर अभियुक्त से छुरी जप्त कर तथा उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना प्रकट किया है। रजनीकांत (अ.सा.-2) ने भी साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए सूचना मिलने पर ओम प्रकाश यादव के साथ मौके पर पहुंचना बताया है।

10 रजनीकांत (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में यह बताया है कि जब वे लोग मौके पर पहुंचे तो मौके पर अभियुक्त के अलावा दो तीन लोग थे तथा उक्त साक्षी ने इसी पैरा में यह भी बताया है कि मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को पकड़ा और सीधे थाने लेकर आ गये थे। जबकि ओमप्रकाश यादव (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में मौके पर 25 से 30 लोगों का उपस्थित होना बताया है। पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा जप्तशुदा छुरी की नाप किससे की गयी थी उसका उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं किया गया है। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि स्केल से नापजोख की गयी थी तथा इसी पैरा में साक्षी ने यह भी बताया है कि जप्तशुदा आर्टिकल-ए पर थाने की सील नहीं लगी है।

11 जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में जप्ती का समय 14:25 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी का समय 14:30 मिनट लेख है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से गवाहों के समक्ष अभियुक्त से आयुध की जप्ती किये जाने के उपरांत उसे सीलबंद किया गया हो ऐसा दर्शित नहीं हो रहा है। जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों में अपराध क्रमांक लेख है। अतः ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। साथ ही जप्ती एवं गिरफ्तारी में मात्र 5 मिनट का अंतराल होना तथा जप्ती पत्रक में आयुध के सीलबंद किये जाने का उल्लेख न होना जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद कर देता है। साथ ही साखी रजनीकांत (अ.सा.-2) एवं ओमप्रकाश यादव

(अ.सा.-3) के कथनों में विसंगति है। उपर्युक्त परिस्थितियों में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था। साथ ही जप्तशुदा आयुध की नाप किये जाने के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण विवेचक साक्षी के कथनों से प्रकट न होने के कारण भी यह निश्चायक रूप से नहीं कहा जा सकता कि आयुध प्रतिबंधित आकार प्रकार का है या नहीं।

12 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 03.09.2015 को समय दोपहर 02:25 बजे या उसके लगभग न्यायालय के सामने जनपद चौक आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी तलवारनुमा जिसकी लंबाई 1 फिट 4½ इंच, चौड़ाई सवा दो इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त मोटू उर्फ सोनू को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्त सुदा तलवारनुमा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)